कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

63वीं राष्ट्रीय विद्यालयी रोलर स्केटिंग 17,19 वर्ष छात्र–छात्रा प्रतियोगिता दिनांक **09.12.2017 से 13.12.2017 तक बेलगांव (कर्नाटक)** मे आयोज्य है। इस प्रतियोगिता मे राज्य दल **निदेशक महोदय के निर्देशानुसार** भाग लेगा। इस क्रम में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. उक्त प्रतियोगितार्थ राज्य दल गठन हेतु चयन परीक्षण दिनांक **02.12.2017 से 03.12.2017** तक तत्पश्चात चयनित खिलाड़ियों का पूर्व प्रशिक्षण शिविर दिनांक **04.12.2017 से 06.12.2017** तक प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय,पुलिस लाईन,जोधपुर के तत्वावधान मे आयोजित होगा।
2. रोलर स्केटिंग17,19 वर्ष आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं के सबद्ध संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित योग्यता फार्म की तीन प्रतियां मय जन्म प्रमाण–पत्र व गत वर्ष कक्षा की अंक तालिका सहित चयन परीक्षण मे भाग लेने हेतु **दिनांक 02.12.2017** की प्रातः तक चयन परीक्षण स्थल राजकीय माध्यमिक विद्यालय,पुलिस लाईन,जोधपुर पर संभागी खिलाड़ियों को उनके प्रभारियों के साथ भेजा जावे।
3. राष्ट्रीय प्रतियोगितार्थ चयन परीक्षण के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है :–

1.	**जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) प्रथम जोधपुर**	**अध्यक्ष**
2.	**उपजिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) कार्या.जि.शि.अ.(मा.), जोधपुर**	**सदस्य**
3.	**श्री बिशन सिंह,प्रशिक्षक, रा. शा.शिक्षा महाविद्यालय,जोधपुर**	**विभागीय पर्यवेक्षक**
4.	**श्री अनिल गौड,प्रशिक्षक, रोलर स्केटिंग,जयपुर**	**सदस्य**
5.	**श्री गौरव सांखला,शाशि,रामावि,मडाई (जोधपुर)**	**सदस्य**
6.	**प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय,पुलिस लाईन,जोधपुर**	**सदस्य सचिव**

4. चयन परीक्षण संपादनोपरान्त चयनित खिलाड़ियों की सूची (चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरयुक्त) एवं समस्त वांछित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप मे तैयार कर खिलाड़ियों की ऑनलाईन एन्ट्री हेतु दिनांक **04.12.2017** की प्रातः तक इस कार्यालय को वाहक स्तर पर आवश्यक रूप से भिजवाने की समस्त जिम्मेवारी **प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय,पुलिस लाईन,जोधपुर** की होगी।
5. समस्त खिलाड़ियों को चयन परीक्षण की सूचना देने एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु दल की यात्रा का सम्पूर्ण जोखिम की जिम्मेदारी **राजस्थान रोलर स्केटिंग संघ** की होगी। प्रतियोगिता मे भाग लेकर लौटने के पश्चात विस्तृत प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
6. **चयन परीक्षण, प्रशिक्षण शिविर, यात्रा अवधि, राष्ट्रीय प्रतियोगिता अवधि, खेल उपकरण, चिकित्सा व्यय, एसजीएफआई शुल्क आदि से संबंधित एवं इसके संबंधित खिलाड़ियों पर होने वाला समस्त व्यय गत वर्ष की भांति संबंधित खेल संघ द्वारा वहन किया जायेगा। संभागी खिलाड़ियों अथवा उनके अभिभावकों से इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार की राशि वसूल नही की जायेगी।**

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक– शिविर/मा/खेलकूद–4/35991/ट्रायल बेस/रोलर स्केटिंग/बेलगांव/2017–18/ दिनांक 30/11/17

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि चयन परीक्षण संबंधी समस्त कार्य नियमानुसार अपनी देखरेख मे संपादित करवावे।
5. प्रधानाध्यापक,राजकीय माध्यमिक विद्यालय,पुलिस लाईन,जोधपुर।
6. श्री नदीम सिद्दकी जनरल सेक्रटरी, राजस्थान रोलर स्केटिंग संघ 4231,अनाज मंडी,जौहरी बाजार,जयपुर एवं राजस्थान एमेच्योर रोलर स्केटिंग,ऐशोसियन,बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चयन परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए सभी इच्छुक खिलाड़ियों को सूचित करें एवं चयन परीक्षण, प्रशिक्षण शिविर, यात्रा अवधि, राष्ट्रीय प्रतियोगिता अवधि, खेल उपकरण, चिकित्सा व एसजीएफआई शुल्क आदि से संबंधित खिलाड़ियों पर होने वाला समस्त व्यय प्रतिवर्ष की भांति राजस्थान रोलर स्केटिंग संघ द्वारा ही वहन किया जायेगा। छात्र–छात्रओं एवं अभिभावको से किसी भी प्रकार की राशि वसूल नही की जायेगी।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/खेलकूद–4/35991/ट्रायलबेस/2017/ दिनांक 17/11/17

अध्यक्ष/सचिव
रोलर स्केटिंग/राईफल शूटिंग/कूडो मार्शल आर्ट/टैनिस खेल/
यूनिफाईड खेल/स्पीड बॉल

विषय :– राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ट्रायल आधार पर भाग लेने वाले विभिन्न खेलों के संबंध में

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ट्रायल आधार पर भाग लेने वाले विभिन्न खेलो के संबध मे खेल [illegible] चयन प्रक्रिया, अभिलेख एवं व्यय से संबंधित निम्नानुसार दिशा निर्देशों की पालना करना आवश्यक है –

अभिलेख

चयन आधार पर राज्य दल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में संभागित्व हेतु सम्बद्ध खेल संघ द्वारा निम्नांकित अभिलेखो की मूल/प्रमाणित प्रतियां उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा राज बीकानेर को [illegible] एव इसकी प्रमाणितकता के पश्चात की राज्य दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भिजवाने की कार्यवाही [illegible] लाई जावेगी --

1. चयन प्रक्रिया के आधार पर राज्य दल के संभागित्व पर होने वाले समस्त व्यय [illegible] संघ के स्वय के स्तर पर करने की अंडरटेकिंग ।

चयन प्रक्रिया

राज्य के समस्त विद्यालय जो विभागीय खेलकूद पंचाग में जिला/राज्य स्तरीय [illegible] सकते है उनको चयन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर मिल सके इसके लिए सम्बद्ध [illegible] निम्नांकित कार्यवाही की जावेगी :–

1. खेलकूद पंचाग में जिन पत्रकारों को प्रतियोगिता के बारे में सूचित किया जाता है उन समस्त [illegible] पत्र/ई–मेल से सूचित करना तथा इसकी सूचना को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में दो प्रमुख समाचार [illegible] प्रकाशित करना एवं प्रचार –प्रसार कराना।
2. ट्रायल आधार पर प्रतिभागी दल की चयन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित की जावेगी-

01	सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	अध्यक्ष
02	सम्बद्ध खेल संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
03	विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी	सदस्य
04	सम्बद्ध उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)	सदस्य सचिव

3. सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया मे पारदर्शिता रखने हेतु इसकी विडियो रिकार्डिंग सम्बद्ध खेल [illegible] के निर्देशन में की जावेगी तथा इसकी प्रमाणित प्रति विभाग को उपलब्ध करवानी होगी [illegible] विभागीय प्रतिनिधि के माध्यम से चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त अभिलेख कार्यालय में [illegible]

आवास एवं मैदान व्यवस्था

चयन प्रक्रिया में प्रतिभागी समस्त छात्र–छात्रा खिलाडियों की आवास एवं मैदान एवं इसकी [illegible] पूर्ण व्यवस्था सम्बद्ध खेल संघ के द्वारा अपने स्तर पर की जावेगी तथा इसके लिए विभाग [illegible] अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की जावेगी तथा न ही इस हेतु किसी प्रकार के आवंटन [illegible] जावेगा

अन्य

इसके अलावा सम्बद्ध खेल संघ को विभाग द्वारा समय–समय पर मांगे जाने वाले समस्त अभिलेख/सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाना । यदि चयन समिति को यह तथ्य अवलोकित होता है कि चयन प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिभागी नहीं आये है अथवा प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं है तो इस प्रकार के दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी ।

(नथमल डिडेल)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर